न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण संख्या 03/2024(GCMS : 2024/66)

नानकराम उर्फ नानूराम पुत्र स्व. श्री हुकमाराम जाति कुम्हार, निवासी वार्ड नम्बर–04, हनुमान खेजड़ी मंदिर के पास, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **सोमा देवी** पत्नी स्व. श्री हुकमाराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 04, हनुमान खेजडी मंदिर के पास, सूरतगढ़
2. **जेठुराम** पुत्र श्री स्व. हुकमाराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर–4, हनुमान खेजड़ी मंदिर के पास, सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24.07.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विनोद भाटी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 21.07.2023 से माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 से अपीलार्थी सोमा देवी की अपील स्वीकार कर अप्रार्थीगण नानकराम उर्फ नानूराम एवं जेठूराम को 2500–2500 कुल 5000/– रूपये प्रतिमाह भरणपोषण के रूप में प्रत्येक माह अपीलार्थी के खाते में जमा करवाने हेतु निर्देशित किया था, जिसके विरूद्ध प्रार्थी नानकराम ने अन्तर्गत धारा 05, 09 एवं 22 मात पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के यह प्रकरण पेश किया था, किन्तु अब अपीलार्थी उक्त प्रकरण में आगे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 01.04.2024 को एक प्रार्थना पत्र नानकराम उर्फ नानूराम ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों भरण पोषण अधिनियम 2007 अन्तर्गत धारा 05, 09 एवं 22 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण सोमा देवी एवं जेठुराम के विरूद्ध प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.07.2023 को निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.07.31 16:49:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का अंकन फर्दअहकाम के हाशिये पर अंकन किया है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर **प्रार्थी नानकराम उर्फ नानूराम** द्वारा अभिभावकों एवं विरिष्ठ नागरिकों का भराण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 **के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकबंधु)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.07.31 16:49:20 IST
Reason: SelfAttested